उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-45/2021/एस-2-।/86545/दस-2021-10-21099/2481/2021

लखनऊ :: दिनॉक: 06 अगस्त, 2021

<u>कार्यालय-आदेश</u>

नियमित नियुक्ति होने अथवा अग्रिम आदेशों तक उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-क के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके अपने कार्य के साथ-साथ तालिका के कालम संख्या-3 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार बिना किसी वेतन भत्ते के दिये जाने के श्री राज्यपाल सहर्ष आदेश प्रदान करते है:-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद व स्थान जिसका अतिरिक्त कार्यभार प्रदान किया जा रहा है
1	2	3
1	श्री हरि शंकर मिश्रा, अपर निदेशक, कोषागार, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर	वित्त अधिकारी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
2	श्री राम कृपाल बिन्द, अपर निदेशक, कोषागार, झाँसी मण्डल, झाँसी।	वित्त अधिकारी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।
3	श्री नीरज कुमार, वित्त अधिकारी, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।	वित्त अधिकारी, पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सा एवं शैक्षणिक संस्थान, गौतमबुद्धनगर।
4	श्री सूबेदार सिंह, वित्त नियंत्रक, मण्डी परिषद, लखनऊ।	वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5	श्री बलिराम प्रसाद, वित्त नियंत्रक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।	वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
6	डा0 अमर सिंह, वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय,उ0प्र0 लखनऊ।	वित्त नियंत्रक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7	श्री राज कुमार शुक्ला, अपर निदेशक, कोषागार, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।	वित्त नियंत्रक, श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी।
8	श्री यशवन्त सिंह, मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।	वित्त नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा, निदेशालय, कानपुर।
9	श्री दिनेश बाबू, मुख्य कोषाधिकारी, बाँदा।	वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, बाँदा।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

10	श्री सुनील मैत्रेय, वित्त नियंत्रक, सर्व शिक्षा अभियान, उ0प्र0 लखनऊ।	वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
11	श्री अशोक कुमार बाजपेयी, वित्त नियंत्रक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।	मुख्य कोषाधिकारी, गाजियाबाद।
12	श्री शीमल चन्द्र, मुख्य कोषाधिकारी, गोण्डा।	संयुक्त निदेशक, पेंशन, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
13	श्री रामपाल, मुख्य कोषाधिकारी, झाँसी।	संयुक्त निदेशक, पेंशन, झाँसी मण्डल, झाँसी।
14	श्री सत्येन्द्र सागर, मुख्य कोषाधिकारी, सहारनपुर।	संयुक्त निदेशक, पेंशन, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
15	श्री केशव सिंह, वित्त नियंत्रक, होमगार्ड मुख्यालय, लखनऊ।	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, खादी बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ।
16	श्री राज कुमार शर्मा, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, प्रयागराज।	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, नगर निगम, प्रयागराज।
17	श्री अबिद अली अंसारी, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, दिव्यांगजन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय आयुक्त ग्राम्य विकास उ0प्र0 लखनऊ।
18	श्री पवन कुमार, अपर आयुक्त (वित्त), राजस्व परिषद, मुरादाबाद।	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।
19	श्री रमेश चन्द्र, वित्त नियंत्रक, राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, कानपुर।	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, राज्य कर्मचारी बीमा निदेशालय, कानपुर।
20	श्री जावेद असलम, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, लखनऊ।	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, बीज विकास निगम, लखनऊ।
21	श्रीमती अनुराधा श्रीवास्तव, वित्त नियंत्रक, यूनानी निदेशालय, लखनऊ।	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, होम्योपैथी निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

2- संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अतिरिक्त प्रभार के पद का कार्यभार तत्काल ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक, शासन एवं निदेशक कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ को 02 दिन में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

प्रकाश बिन्दु
विशेष सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-45/2021-एस-2-।-/86545(1)/दस-2021,तददिनाँक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष, उ0प्र0।
3- संबंधित आयुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
6- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
7- संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक, कोषागार।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(विद्या कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।